



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 12, 2016/श्रावण 21, 1938

No. 564]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 12, 2016/SRAVANA 21, 1938

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 792(अ).—भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1966 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित अखिल भारती सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (1) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।
- (2) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1966 की अनुसूची में "महाराष्ट्र" शीर्षक के लिए और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"महाराष्ट्र

| | |
|--------------------------------------|-----|
| राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद | 126 |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ) | 1 |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) | 1 |

| | |
|--|----|
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (बजट, योजना एवं विकास) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन और प्रबंधन) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन अधीनस्थ संवर्ग) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पूर्व | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (संरक्षण) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना, प्रौद्योगिकी और नीति) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय (सामाजिक वानिकी) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एनटीएफपी) | 1 |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं प्रबंधन (वन्यजीव) | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) अर्थात्: अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, ठाणे, नागपुर, यवतमाल, धुले, कोल्हापुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली | 11 |
| मुख्य वन संरक्षक और फील्ड निदेशक, मेलघाट टाइगर रिजर्व और टोडोबदा-अंधारी टाइगर रिजर्व | 2 |
| मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना), पूर्व | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना), पश्चिम | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक (शिक्षा और प्रशिक्षण) | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक, बजट, योजना एवं विकास | 1 |
| सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण, नागपुर | 1 |

| | |
|---|----|
| मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन प्रबंधन) | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, पुणे | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक, संसाधन उपयोग | 1 |
| एमडी महाराष्ट्र राज्य इको-पर्यटन विकास बोर्ड, नागपुर | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक एंड फील्ड निदेशक, पेंच टाइगर रिजर्व | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक एंड फील्ड निदेशक, सहयाद्री टाइगर रिजर्व कोलापुर | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक, (मैनग्रोव्स), मुंबई | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक वन विनियम | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षण | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक मूल्यांकन | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीवन, पुणे | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक (एनटीएफपी) | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय), अनुसंधान एवं एफडी, मुंबई | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक भू-अभिलेख | 1 |
| मुख्य वन संरक्षक व निदेशक संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली | 1 |
| वन संरक्षक (कार्य योजना) अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, पुणे, नई मुंबई में ठाणे | 6 |
| वन संरक्षक (परिवहन और विपणन) बल्लारशाह | 1 |
| वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, ठाणे | 6 |
| वन संरक्षक (वन्यजीव), नासिक | 1 |
| वन संरक्षक एंड फील्ड निदेशक, नैव गांव- नागजेरा टाइगर रिजर्व, गोंदिया | 1 |
| उप वन संरक्षक (मैनग्रोव्स), मुंबई | 1 |
| उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय) नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, अमरावती, पश्चिम नासिक, नांदेड़, कोल्हापुर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, ब्रह्मपुरी, वादसा, ऑलपली, ब्रह्मगढ़, सिरोंचा, केन्द्रीय चंधा, पूर्व मेलघाट, पश्चिम मेलघाट, अलीबाग, यवतमाल, पुसाद, पंधारकवादा, बुलढाणा, अकोला, धुले, नंदुरबार, जलगांव, यावल, मेवासी, पूर्व नासिक, अहमदनगर, शाहपुर, | 42 |

| | | |
|----|--|------|
| | दहानु, रोहा, जुन्नर, सोलापुर, सतारा, सावंतवाडी, जावा, और सांगली | |
| | उप निदेशक (बफर) तदोबा - अंधेरी-टाइगर रिजर्व चंद्रपुर | 1 |
| | उप वन संरक्षक (भू-अभिलेख), पूर्वी क्षेत्र, नागपुर और पश्चिमी क्षेत्र, पुणे | 2 |
| | उप निदेशक, नवेगांव-नागजेर टाइगर रिजर्व, साकोली | 1 |
| | उप वन संरक्षक (वन्यजीव) अकोट, ठाणे, सिपना, गुगमल (मेलघाट टाइगर रिजर्व) | 4 |
| | उप निदेशक (कोर), टडोबदा - अंधेरी-टाइगर रिजर्व चंद्रपुर | 1 |
| | उप निदेशक, सहयाद्री टाइगर रिजर्व, कोल्हापुर | 1 |
| | उप निदेशक, पेंच टाइगर रिजर्व | 1 |
| | उप वन संरक्षक (कार्य योजना चन्द्रपुर) | 1 |
| | उप वन संरक्षक कार्य योजना, धुले, यवतमाल और कोल्हापुर | 3 |
| | उप वन संरक्षक कार्य योजना गढ़चिरोली | 1 |
| 1. | कुल सीनियर ड्यूटी पोस्ट | 126 |
| 2. | केंद्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व ऊपर मद 1 के 20% से अधिक नहीं | 25 |
| 3. | राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व ऊपर मद 1 से 25% से अधिक नहीं | 31 |
| 4. | प्रशिक्षण रिजर्व ऊपर मद 1 से 3.5% से अधिक नहीं | 04 |
| 5. | रिजर्व और जूनियर पोस्ट रिजर्व छोड़ दो उपरोक्त मद 1 के 16.5% से अधिक नहीं | 20 |
| 6. | पोस्ट भारतीय वन सेवा (भर्ती) के नियम 8 नियम 1966 के ऊपर मद 1, 2, 3 और 4 के 33 1/3% से अधिक नहीं के तहत पदोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए | 62 |
| 7. | पोस्ट सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले (मद 1 + 2 + 3 + 4 + 5-6) | 144 |
| | कुल अधिकृत शक्ति (आइटम 6 + 7 से ऊपर) | 206" |

[फा. सं.16016/01/2016-अ.भा.से.-II(क)]

प्रीति खन्ना, अवर सचिव

टिप्पणी-1: इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व, भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग की कुछ प्राधिकृत पद संख्या 206 थी

टिप्पणी-2: मुख्य विनियम 31.10.1966 की अधिसूचना सं. 6/1/66-अ.भा.से.(IV), जी.एस.आर. 1072 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। तत्पश्चात, भारतीय वन सेवा के महाराष्ट्र संवर्ग के संबंध में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं तथा तिथियों द्वारा संशोधित किए गए :-

| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख |
|---------|--------------|----------|---------|--------------|----------|
| 1 | 1673 | 30.10.66 | 36. | 360(अ) | 13.7.78 |
| 2 | 17 | 7.1.67 | 37. | 436(अ) | 29.8.78 |
| 3 | 653 | 6.5.67 | 38. | 486(अ) | 25.8.80 |
| 4 | 654 | 6.5.67 | 39. | 562(अ) | 30.9.80 |
| 5 | 689 | 13.5.67 | 40. | 626अ | 3.11.80 |
| 6 | 1083 | 8.6.68 | 41. | 631अ | 4.11.80 |
| 7 | 1887 | 9.8.69 | 42. | 21अ | 17.1.81 |
| 8 | 80 | 17.1.70 | 43. | 31अ | 23.1.81 |
| 9 | 485 | 21.3.70 | 44. | 84(अ) | 27.2.81 |
| 10 | 545 | 4.4.70 | 45. | 456(अ) | 9.5.81 |
| 11 | 1802 | 24.10.70 | 46. | 360(अ) | 23.5.81 |
| 12 | 135 | 24.1.75 | 47. | 276(अ) | 2.6.81 |
| 13 | 136 | 24.1.71 | 48. | 386(अ) | 9.6.81 |
| 14 | 665 | 8.5.71 | 49. | 602(अ) | 16.11.81 |
| 15 | 45(अ) | 20.1.72 | 50. | 604(अ) | 17.11.81 |
| 16 | 47(अ) | 20.1.72 | 51. | 653(अ) | 10.12.81 |
| 17 | 48(अ) | 20.1.72 | 52. | 657(अ) | 11.12.81 |
| 18. | 478(अ) | 4.12.72 | 53. | 294(अ) | 1.4.82 |
| 19. | 192(अ) | 2.4.73 | 54. | 354(अ) | 26.4.82 |
| 20. | 321(अ) | 27.6.73 | 55. | 356(अ) | 27.4.82 |
| 21. | 391(अ) | 10.8.73 | 56. | 778(अ) | 31.5.82 |
| 22. | 142 | 24.1.71 | 57. | 530(अ) | 20.8.82 |
| 23. | 28(अ) | 8.5.71 | 58. | 24अ | 12.1.83 |
| 24. | 273(अ) | 11.1.72 | 59. | 126(अ) | 28.2.85 |
| 25. | 300(अ) | 20.1.72 | 60. | 308(अ) | 26.3.85 |
| 26. | 812 | 29.4.72 | 61. | 327अ | 29.3.85 |
| 27. | 2227 | 16.8.75 | 62. | 489अ | 12.6.85 |
| 28. | 71 | 17.1.76 | 63. | 266 | 12.4.86 |
| 29. | 407(अ) | 16.6.76 | 64. | 654 | 30.8.86 |
| 30. | 1064 | 24.7.76 | 65. | 763. | 20.9.86 |
| 31. | 444 (अ) | 6.7.76 | 66. | 798. | 27.9.86 |
| 32. | 750 (अ) | 3.8.76 | 67. | 796 | 27.9.86 |
| 33. | 93 (अ) | 26.2.77 | 68. | 835 | 4.10.86 |
| 34. | 631 (अ) | 5.10.77 | 69. | 837 | 4.10.86 |
| 35. | 13 (अ) | 6.1.78 | 70. | 880 | 18.10.86 |

| | | | | | |
|------|--------|----------|-----|---------|------------|
| 71. | 164 | 14.3.87 | 111 | 537 | 9.12.95 |
| 72. | 407 | 30.5.87 | 112 | 75अ | 5.2.96 |
| 73. | 619 | 15.3.87 | 113 | 77अ | 5.2.96 |
| 74. | 802 | 31.10.87 | 114 | 231 | 8.6.96 |
| 75. | 826 | 7.11.87 | 115 | 233 | 8.6.96 |
| 76. | 835 | 14.10.87 | 116 | 589अ | 26.12.96 |
| 77. | 836 | 14.11.87 | 117 | 587अ | 26.12.96 |
| 78. | 432अ | 6.4.88 | 118 | 585अ | 26.12.96 |
| 79. | 546अ | 4.5.88 | 119 | 17अ | 17.1.97 |
| 80. | 834अ | 3.8.88 | 120 | 413 | 20.12.97 |
| 81. | 352अ | 10.3.89 | 121 | 741अ | 31.12.97 |
| 82. | 553अ | 16.5.89 | 122 | 40 | 29.1.98 |
| 83. | 455 | 1.7.89 | 123 | 617अ | 14.1.98 |
| 84. | 832 | 11.11.89 | 124 | 372 | 10.12.99 |
| 85. | 916 | 16.12.89 | 125 | 374 | 10.12.99 |
| 86. | 933 | 30.12.89 | 126 | 824अ | 21.10.2000 |
| 87. | 590 | 22.9.90 | 127 | 827अ | 21.10.2000 |
| 88. | 603 | 29.9.90 | 128 | 830अ | 21.10.2000 |
| 89. | 728 | 8.12.90 | 129 | 141 | 27.04.2002 |
| 90. | 730 | 8.12.90 | 130 | 143 | 27.04.2002 |
| 91. | 125(अ) | 5.3.91 | 131 | 139 | 27.04.2002 |
| 92. | 246 | 13.4.91 | 132 | 145 | 27.04.2002 |
| 93. | 473 | 24.8.91 | 133 | 147 | 27.04.2002 |
| 94. | 527 | 14.9.91 | 134 | 372 | 21.09.2002 |
| 95. | 565 | 5.10.91 | 135 | 173 | 26.04.2003 |
| 96. | 584 | 19.10.91 | 136 | 34 (अ) | 24.01.2006 |
| 97. | 538(अ) | 6.8.93 | 137 | 287(अ) | 16.05.2006 |
| 98. | 685(अ) | 4.11.93 | 138 | 289 (अ) | 16.05.2006 |
| 99. | 687(अ) | 4.11.93 | 139 | 562(अ) | 15.09.2006 |
| 100. | 514 | 22.10.94 | 140 | 564(अ) | 15.09.2006 |
| 101. | 513 | 22.10.94 | 141 | 566(अ) | 15.09.2006 |
| 102. | 321अ | 31.3.95 | 142 | 724(अ) | 23.11.2006 |
| 103. | 213 | 29.4.95 | 143 | 703(अ) | 12.08.2007 |
| 104. | 278 | 10.6.95 | 144 | 765(अ) | 12.12.2007 |
| 105. | 264 | 6.6.95 | 145 | 609(अ) | 26.08.2008 |
| 106. | 339 | 22.7.95 | 146 | 109(अ) | 21.02.2008 |
| 107. | 375 | 12.8.95 | 147 | 610(अ) | 26.08.2008 |
| 108. | 480 | 18.11.95 | 148 | 716(अ) | 03.10.2008 |
| 109. | 479 | 18.11.95 | 149 | 748(अ) | 21.10.2008 |
| 110 | 503 | 2.12.95 | 150 | 190(अ) | 24.03.2009 |

| | | | | | |
|-----|--------|------------|-----|--------|------------|
| 151 | 193(अ) | 24.03.2009 | 165 | 143(अ) | 16.03.2012 |
| 152 | 194(अ) | 24.03.2009 | 166 | 145(अ) | 16.03.2012 |
| 153 | 498(अ) | 07.07.2009 | 167 | 216(अ) | 16.03.2012 |
| 154 | 500(अ) | 07.07.2009 | 168 | 218(अ) | 16.03.2012 |
| 155 | 502(अ) | 07.07.2009 | 169 | 672(अ) | 06.09.2012 |
| 156 | 504(अ) | 07.07.2009 | 170 | 609(अ) | 06.09.2013 |
| 157 | 506(अ) | 07.07.2009 | 171 | 611(अ) | 06.09.2013 |
| 158 | 503(अ) | 07.07.2009 | 172 | 651(अ) | 24.09.2013 |
| 159 | 905(अ) | 18.12.2009 | 173 | 515(अ) | 18.07.2014 |
| 160 | 907(अ) | 18.12.2009 | 174 | 103(अ) | 16.02.2015 |
| 162 | 911(अ) | 18.12.2009 | 175 | 520(अ) | 30.06.2015 |
| 163 | 406(अ) | 14.05.2010 | 176 | 530(अ) | 02.07.2015 |
| 164 | 673(अ) | 11.08.2010 | 177 | 708(अ) | 16.09.2015 |

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2016

G.S.R. 792(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Service Act, 1951 (61 of 1951), read with sub-rule 2 of Rule 4 of Indian Forest Service (Cadre) Rules, 1966, the Central Government in consultation with the Government of **Maharashtra** hereby makes the following regulations further to amend the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, namely :-

1. (i) These regulations shall be called the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Schedule to the Indian Forest Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1966, for the heading "**Maharashtra**" and the entries occurring there under, the following shall be substituted, namely :—

“MAHARASHTRA

| SENIOR DUTY POSTS UNDER THE STATE GOVERNMENT | 126 |
|---|------------|
| Principal Chief Conservator of Forests,(H.O.F.F.) | 1 |
| Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife) | 1 |
| Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Budget, Planning and Development) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests,(Production and Management) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Administration, Subordinate Cadres) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife), West | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife), East | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Research, Education and Training) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests and Nodal Officer | 1 |

| | |
|---|----|
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Protection) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Personnel) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Conservation) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Information, Technology & Policy) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, HQ (Social Forestry) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (NTFP) | 1 |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, Planning & Management (Wildlife) | 1 |
| Chief Conservator of Forests (Territorial) Namely: Amravati, Aurangabad, Nasik, Pune, Thane, Nagpur, Yavatmal, Dhule, Kolhapur, Chandrapur and Gadchiroli | 11 |
| Chief Conservator of Forests & Field Director, Melghat Tiger Reserve and Todoba-Andhari Tiger Reserve | 2 |
| Chief Conservator of Forests (Working Plan), East | 1 |
| Chief Conservator of Forests (Working Plan), West | 1 |
| Chief Conservator of Forests (Education and Training) | 1 |
| Chief Conservator of Forests Budget, Planning & Development | 1 |
| Member Secretary, Maharashtra State Zoo Authority, Nagpur | 1 |
| Chief Conservator of Forests (Human Resource Management) | 1 |
| Chief Conservator of Forests, Information Technology | 1 |
| Chief Conservator of Forests, Research, Pune | 1 |
| Chief Conservator of Forests, Resource Utilization | 1 |
| MD Maharashtra State Eco-Tourism Development Board, Nagpur | 1 |
| Chief Conservator of Forests & Field Director, Pench Tiger Reserve | 1 |
| Chief Conservator of Forests & Field Director, Sahyadri Tiger Reserve, Kolapur | 1 |
| Chief Conservator of Forests, (Mangrooves), Mumbai | 1 |
| Chief Conservator of Forests, Forest Regulations | 1 |
| Chief Conservator of Forests, Forest Conservation | 1 |
| Chief Conservator of Forests, Evaluation | 1 |
| Chief Conservator of Forests, Wildlife, Pune | 1 |
| Chief Conservator of Forests (NTFP) | 1 |
| Chief Conservator of Forests, (Mantralaya), R&FD, Mumbai | 1 |
| Chief Conservator of Forests, Land Records | 1 |
| Chief Conservator of Forests & Director, Sanjay Gandhi National Park, Borivali | 1 |
| Conservator of Forests (Working Plan) Amravati, Aurangabad, Nagpur, Nasik, Pune, Thane at New Mumbai | 6 |
| Conservator of Forests (Transport and Marketing) Ballarshah | 1 |
| Conservator of Forests (Social forestry), Nagpur, Amravati, Aurangbad, Nasik, Pune, Thane | 6 |
| Conservator of Forests (Wildlife), Nasik | 1 |
| Conservator of Forests & Field Director, Navegaon- Nagzera Tiger Reserve, Gondia | 1 |
| Deputy Conservator of Forests (Mangrooves), Mumbai | 1 |

| | | |
|----|--|------------|
| | Deputy Conservator of Forests (Territorial) Nagpur, Pune, Aurangabad, Thane, Amravati, West Nasik, Nanded, Kolhapur, Wardha, Gondia, Bhandara, Gadchiroli, Brahmपुर, Wadsa, Allapalli, Bhamragad, Sironcha, Central Chandha, East Melghat, West Melghat, Alibag, Yavatmal, Pusad, Pandharkawada, Buldana, Akola, Dhule, Nandubar, Jalgaon, Yawal, Mewasi, East Nasik, Ahmednagar, Shahpur, Dahanu, Roha, Junnar, Solapur, Satara, Sawantwadi, Jawha, and Sangali | 42 |
| | Deputy Director (Buffer) Tadoba - Andheri-Tiger Reserve Chandrapur | 1 |
| | Deputy Conservator of Forests (Land Records), Eastern Region, Nagpur, and Western Region Pune | 2 |
| | Deputy Director, Navegaon-Nagzera Tiger Reserve, Sakoli | 1 |
| | Deputy Conservator of Forests (Wildlife) Akot, Thane, Sipna, Gugamal (Melghat Tiger Reserve) | 4 |
| | Deputy Director (Core), Tadoba - Andheri-Tiger Reserve Chandrapur | 1 |
| | Deputy Director, Sahyadri Tiger Reserve, Kolhapur | 1 |
| | Deputy Director, Pench Tiger Reserve | 1 |
| | Deputy Conservator of Forests, (Working Plan Chandrapur) | 1 |
| | Deputy Conservator of Forests, Working Plan, Dhule, Yavatmal & Kolhapur | 3 |
| | Deputy Conservator of Forests, Working Plan Gadchiroli | 1 |
| 1. | Total Senior Duty Posts | 126 |
| 2. | Central Deputation Reserve not exceeding 20% of Item 1 above | 25 |
| 3. | State Deputation Reserve not exceeding 25% of Item 1 above | 31 |
| 4. | Training Reserve not exceeding 3.5% of Item 1 above | 04 |
| 5. | Leave Reserve and Junior Posts Reserve not exceeding 16.5% of Item 1 above | 20 |
| 6. | Posts to be filled by promotion under Rule 8 of the Indian Forest Service (Recruitment) Rules 1966 not exceeding 33 1/3 % of Item 1, 2, 3 and 4 above | 62 |
| 7. | Posts to be filled up by Direct Recruitment (Item 1+2+3+4+5-6) | 144 |
| | Total Authorized Strength (Item 6+7 above) | 206 |

[F. No. 16016/01/2016 - AIS-II (A)]

PREETI KHANNA, Under Secy.

Note-1: Prior to the issue of this Notification, the total authorized strength of the IFS cadre of Maharashtra was 206.

Note-2: The Principal regulations were notified vide notification No.6/1/66-AIS(IV), dated 31-10-1966 vide GSR No.1072 in the Indian Forest Service (Fixation of cadre strength) Regulations, 1966, and subsequently been amended, vide notifications given below:-

| Sl. No. | GSR No. | Date of Publication | Sl. No. | GSR No. | Date of Publication |
|---------|---------|---------------------|---------|---------|---------------------|
| 1. | 1673 | 30.10.66 | 11 | 1802 | 24.10.70 |
| 2. | 17 | 7.1.67 | 12 | 135 | 24.1.75 |
| 3. | 653 | 6.5.67 | 13 | 136 | 24.1.71 |
| 4. | 654 | 6.5.67 | 14 | 665 | 8.5.71 |
| 5. | 689 | 13.5.67 | 15 | 45(E) | 20.1.72 |
| 6. | 1083 | 8.6.68 | 16 | 47(E) | 20.1.72 |
| 7. | 1887 | 9.8.69 | 17 | 48(E) | 20.1.72 |
| 8. | 80 | 17.1.70 | 18. | 478(E) | 4.12.72 |
| 9. | 485 | 21.3.70 | 19. | 192(E) | 2.4.73 |
| 10. | 545 | 4.4.70 | 20. | 321(E) | 27.6.73 |

| | | | | | |
|-----|---------|----------|------|--------|----------|
| 21. | 391(E) | 10.8.73 | 71. | 164 | 14.3.87 |
| 22. | 142 | 24.1.71 | 72. | 407 | 30.5.87 |
| 23. | 28(E) | 8.5.71 | 73. | 619 | 15.3.87 |
| 24. | 273(E) | 11.1.72 | 74. | 802 | 31.10.87 |
| 25. | 300(E) | 20.1.72 | 75. | 826 | 7.11.87 |
| 26. | 812 | 29.4.72 | 76. | 835 | 14.10.87 |
| 27. | 2227 | 16.8.75 | 77. | 836 | 14.11.87 |
| 28. | 71 | 17.1.76 | 78. | 432E | 6.4.88 |
| 29. | 407(E) | 16.6.76 | 79. | 546E | 4.5.88 |
| 30. | 1064 | 24.7.76 | 80. | 834E | 3.8.88 |
| 31. | 444 (E) | 6.7.76 | 81. | 352E | 10.3.89 |
| 32. | 750 (E) | 3.8.76 | 82. | 553E | 16.5.89 |
| 33. | 93 (E) | 26.2.77 | 83. | 455 | 1.7.89 |
| 34. | 631 (E) | 5.10.77 | 84. | 832 | 11.11.89 |
| 35. | 13 (E) | 6.1.78 | 85. | 916 | 16.12.89 |
| 36. | 360(E) | 13.7.78 | 86. | 933 | 30.12.89 |
| 37. | 436(E) | 29.8.78 | 87. | 590 | 22.9.90 |
| 38. | 486(E) | 25.8.80 | 88. | 603 | 29.9.90 |
| 39. | 562(E) | 30.9.80 | 89. | 728 | 8.12.90 |
| 40. | 626E | 3.11.80 | 90. | 730 | 8.12.90 |
| 41. | 631E | 4.11.80 | 91. | 125(E) | 5.3.91 |
| 42. | 21E | 17.1.81 | 92. | 246 | 13.4.91 |
| 43. | 31E | 23.1.81 | 93. | 473 | 24.8.91 |
| 44. | 84(E) | 27.2.81 | 94. | 527 | 14.9.91 |
| 45. | 456(E) | 9.5.81 | 95. | 565 | 5.10.91 |
| 46. | 360(E) | 23.5.81 | 96. | 584 | 19.10.91 |
| 47. | 276(E) | 2.6.81 | 97. | 538(E) | 6.8.93 |
| 48. | 386(E) | 9.6.81 | 98. | 685(E) | 4.11.93 |
| 49. | 602(E) | 16.11.81 | 99. | 687(E) | 4.11.93 |
| 50. | 604(E) | 17.11.81 | 100. | 514 | 22.10.94 |
| 51. | 653(E) | 10.12.81 | 101. | 513 | 22.10.94 |
| 52. | 657(E) | 11.12.81 | 102. | 321E | 31.3.95 |
| 53. | 294(E) | 1.4.82 | 103. | 213 | 29.4.95 |
| 54. | 354(E) | 26.4.82 | 104. | 278 | 10.6.95 |
| 55. | 356(E) | 27.4.82 | 105. | 264 | 6.6.95 |
| 56. | 778(E) | 31.5.82 | 106. | 339 | 22.7.95 |
| 57. | 530(E) | 20.8.82 | 107. | 375 | 12.8.95 |
| 58. | 24E | 12.1.83 | 108. | 480 | 18.11.95 |
| 59. | 126(E) | 28.2.85 | 109. | 479 | 18.11.95 |
| 60. | 308(E) | 26.3.85 | 110. | 503 | 2.12.95 |
| 61. | 327E | 29.3.85 | 111. | 537 | 9.12.95 |
| 62. | 489E | 12.6.85 | 112. | 75E | 5.2.96 |
| 63. | 266 | 12.4.86 | 113. | 77E | 5.2.96 |
| 64. | 654 | 30.8.86 | 114. | 231 | 8.6.96 |
| 65. | 763 | 20.9.86 | 115. | 233 | 8.6.96 |
| 66. | 798 | 27.9.86 | 116. | 589E | 26.12.96 |
| 67. | 796 | 27.9.86 | 117. | 587E | 26.12.96 |
| 68. | 835 | 4.10.86 | 118. | 585E | 26.12.96 |
| 69. | 837 | 4.10.86 | 119. | 17E | 17.1.97 |
| 70. | 880 | 18.10.86 | 120. | 413 | 20.12.97 |

| | | | | | |
|------|---------|------------|------|--------|------------|
| 121. | 741E | 31.12.97 | 151. | 193(E) | 24.03.2009 |
| 122. | 40 | 29.1.98 | 152. | 194(E) | 24.03.2009 |
| 123. | 617E | 14.1.98 | 153. | 498(E) | 07.07.2009 |
| 124. | 372 | 10.12.99 | 154. | 500(E) | 07.07.2009 |
| 125. | 374 | 10.12.99 | 155. | 502(E) | 07.07.2009 |
| 126. | 824E | 21.10.2000 | 156. | 504(E) | 07.07.2009 |
| 127. | 827E | 21.10.2000 | 157. | 506(E) | 07.07.2009 |
| 128. | 830E | 21.10.2000 | 158. | 503(E) | 07.07.2009 |
| 129. | 141 | 27.04.2002 | 159. | 905(E) | 18.12.2009 |
| 130. | 143 | 27.04.2002 | 160. | 907(E) | 18.12.2009 |
| 131. | 139 | 27.04.2002 | 161. | 909(E) | 18.12.2009 |
| 132. | 145 | 27.04.2002 | 162. | 911(E) | 18.12.2009 |
| 133. | 147 | 27.04.2002 | 163. | 406(E) | 14.05.2010 |
| 134. | 372 | 21.09.2002 | 164. | 673(E) | 11.08.2010 |
| 135. | 173 | 26.04.2003 | 165. | 143(E) | 16.03.2012 |
| 136. | 34 (E) | 24.01.2006 | 166. | 145(E) | 16.03.2012 |
| 137. | 287(E) | 16.05.2006 | 167. | 216(E) | 16.03.2012 |
| 138. | 289 (E) | 16.05.2006 | 168. | 218(E) | 16.03.2012 |
| 139. | 562(E) | 15.09.2006 | 169. | 672(E) | 06.09.2012 |
| 140. | 564(E) | 15.09.2006 | 170. | 609(E) | 06.09.2013 |
| 141. | 566(E) | 15.09.2006 | 171. | 611(E) | 06.09.2013 |
| 142. | 724(E) | 23.11.2006 | 172. | 651(E) | 24.09.2013 |
| 143. | 703(E) | 12.08.2007 | 173. | 515(E) | 18.07.2014 |
| 144. | 765(E) | 12.12.2007 | 174. | 103(E) | 16.02.2015 |
| 145. | 609(E) | 26.08.2008 | 175. | 520(E) | 30.06.2015 |
| 146. | 109(E) | 21.02.2008 | 176. | 530(E) | 02.07.2015 |
| 147. | 610(E) | 26.08.2008 | 177. | 708(E) | 16.09.2015 |
| 148. | 716(E) | 03.10.2008 | | | |
| 149. | 748(E) | 21.10.2008 | | | |
| 150. | 190(E) | 24.03.2009 | | | |

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 2016

सा.का.नि. 793(अ).—अखिल भारतीय वन सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार महाराष्ट्र सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा, 2007 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों को भारतीय वन सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2016 कहा जा सकेगा।
- (ii) ये विनियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली 2007 में:-

(क) अनुसूची -II क में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान से अधिक वेतन वाले पदों में, संबंधित तालिका में प्रथम कॉलम में आने वाली "महाराष्ट्र" प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाले तदनुसूची प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"महाराष्ट्र

| | |
|---|--|
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ) | रु. 80,000/- (नियत) |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) | एचएजी+: रु..75500 (वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%)- रु..80000/- |
| प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी) | एचएजी+: रु..75500 (वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%)- रु..80000/- |
| | |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (बजट, योजना एवं विकास) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन और प्रबंधन) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (प्रशासन अधीनस्थ संवर्ग) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), पूर्व | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक और नोडल अधिकारी | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (संरक्षण) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |

| | |
|--|--|
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सीएएमपीए) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कार्मिक) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (सूचना, प्रौद्योगिकी और नीति) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मुख्यालय (सामाजिक वानिकी) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एनटीएफपी) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं प्रबंधन (वन्यजीव) | एचएजी वेतनमान: रु..67000-(वार्षिक वेतनवृद्धि @ 3%) 79000/- |
| | |
| मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक) अर्थात्: अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, ठाणे, नागपुर, यवतमाल, धुले, कोल्हापुर, चंद्रपुर और गढ़चिरौली | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक और फील्ड निदेशक, मेलघाट टाइगर रिजर्व और टोडोबदा-अंधारी टाइगर रिजर्व | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना), पूर्व | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (कार्य योजना), पश्चिम | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (शिक्षा और प्रशिक्षण) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक, बजट, योजना एवं विकास | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य चिड़ियाघर प्राधिकरण, नागपुर | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (मानव संसाधन प्रबंधन) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक सूचना प्रौद्योगिकी | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक, अनुसंधान, पुणे | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |

| | |
|--|------------------------------------|
| मुख्य वन संरक्षक, संसाधन उपयोग | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| एमडी महाराष्ट्र राज्य इको-पर्यटन विकास बोर्ड, नागपुर | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक एंड फील्ड निदेशक, पेंच टाइगर रिजर्व | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक एंड फील्ड निदेशक, सह्याद्री टाइगर रिजर्व कोलापुर | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक, (मैनग्रोव्स), मुंबई | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक वन विनियम | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक वन संरक्षण | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक मूल्यांकन | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीवन, पुणे | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (एनटीएफपी) | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक (मंत्रालय), अनुसंधान एवं एफडी, मुंबई | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक भू-अभिलेख | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| मुख्य वन संरक्षक व निदेशक संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 10000/- |
| | |
| वन संरक्षक (कार्य योजना) अमरावती, औरंगाबाद, नागपुर, नासिक, पुणे, नई मुंबई में ठाणे | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 8900/- |
| वन संरक्षक (परिवहन और विपणन) बल्लारशाह | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 8900/- |
| वन संरक्षक (सामाजिक वानिकी), नागपुर, अमरावती, औरंगाबाद, नासिक, पुणे, ठाणे | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 8900/- |
| वन संरक्षक (वन्यजीव), नासिक | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 8900/- |
| वन संरक्षक एंड फील्ड निदेशक, नैव गांव- नागजेरा टाइगर रिजर्व, गोंदिया | वेतन बैंड-4+ग्रेड वेतन-रु. 8900/- |

(ख) अनुसूची-II ख में, वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ता लेने वाले पदों सहित राज्य सरकार के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में, वेतन लेने वाले पदों से संबंधित भाग 'ख' में "महाराष्ट्र" के तहत आने वाली प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

| |
|--|
| “उप वन संरक्षक (मैनग्रोव्स), मुंबई |
| उप वन संरक्षक (क्षेत्रीय) नागपुर, पुणे, औरंगाबाद, ठाणे, अमरावती, पश्चिम नासिक, नांदेड, कोल्हापुर, वर्धा, गोंदिया, भंडारा, गढचिरोली, ब्रह्मपुरी, वादसा, ऑलपली, ब्रह्मगढ, सिरोंचा, केन्द्रीय चंधा, पूर्व मेलघाट, पश्चिम मेलघाट, अलीबाग, यवतमाल, पुसाद, पंधारकवादा, बुलढाणा, अकोला, धुले, नंदुरबार, जलगांव, यावल, मेवासी, पूर्व नासिक, अहमदनगर, शाहपुर, दहानु, रोहा, जुन्नर, सोलापुर, सतारा, सावंतवाडी, जावा, और सांगली |
| उप निदेशक (बफर) तदोबा - अंधेरी-टाइगर रिजर्व चंद्रपुर |
| उप वन संरक्षक (भू-अभिलेख), पूर्वी क्षेत्र, नागपुर और पश्चिमी क्षेत्र, पुणे |
| उप निदेशक, नवेगांव-नागजेर टाइगर रिजर्व, साकोली |
| उप वन संरक्षक (वन्यजीव) अकोट, ठाणे, सिपना, गुगमल (मेलघाट टाइगर रिजर्व) |
| उप निदेशक (कोर), टडोबदा - अंधेरी-टाइगर रिजर्व चंद्रपुर |
| उप निदेशक, सहयाद्री टाइगर रिजर्व, कोल्हापुर |
| उप निदेशक, पेंच टाइगर रिजर्व |
| उप वन संरक्षक (कार्य योजना चन्द्रपुर) |
| उप वन संरक्षक कार्य योजना, धुले, यवतमाल और कोल्हापुर |
| उप वन संरक्षक कार्य योजना, गढचिरोली” |

[फा. सं. 16016/01/2016 अ.भा.से.-II(ख)]

प्रीति खन्ना, अवर सचिव

टिप्पणी : भारत के असाधारण राजपत्र में मुख्य दिनांक 21.02.2008 के सा.का.नि. सं. 109(अ) के तहत प्रकाशित हुआ है और सा.का.नि. सं. के तहत संशोधित :-

| क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख | क्र.सं. | सा.का.नि.सं. | तारीख |
|---------|--------------|------------|---------|--------------|------------|
| 1 | 691(अ) | 27.09.2008 | 11 | 501(अ) | 20.06.2012 |
| 2 | 588(अ) | 20.08.2009 | 12 | 673(अ) | 06.09.2012 |
| 3 | 173(अ) | 03.03.2010 | 13 | 610(अ) | 06.09.2013 |
| 4 | 300(अ) | 08.04.2010 | 14 | 612(अ) | 06.09.2013 |
| 5 | 407 | 14.05.2010 | 15 | 652(अ) | 24.09.2013 |
| 6 | 674 | 11.08.2010 | 16 | 516(अ) | 18.07.2014 |
| 7 | 144(अ) | 16.03.2012 | 17 | 104(अ) | 16.02.2015 |
| 8 | 146(अ) | 16.03.2012 | 18 | 521(अ) | 30.06.2015 |
| 9 | 217(अ) | 16.03.2012 | 19 | 531(अ) | 02.07.2015 |
| 10 | 219(अ) | 16.03.2012 | 20 | 709(अ) | 16.09.2015 |

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th August, 2016

G.S.R. 793(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), the Central Government in consultation with the Government of Maharashtra hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007 namely:-

1. (i) These regulations shall be called the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 2016.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2007:-

(a) In Schedule II- A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments, in the Table, for the entry "Maharashtra" appearing in the first column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted, namely:-

"MAHARASHTRA

| | |
|---|--|
| Principal Chief Conservator of Forests (H.O.F.F.) | Rs 80,000/- (Fixed) |
| Principal Chief Conservator of Forests (Wildlife) | HAG+:Rs.75500 (Annual increment @ 3%)-Rs.80000/- |
| Principal Chief Conservator of Forests (Social Forestry) | HAG+:Rs.75500 (Annual increment @ 3%)-Rs.80000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Budget, Planning and Development) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Production and Management) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Administration, Subordinate Cadres) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife), West | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Wildlife), East | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (Research, Education and Training) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests and Nodal Officer | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Protection) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (CAMPA) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Personnel) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Conservation) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests (Information, Technology & Policy) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, HQ (Social Forestry) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, (NTFP) | HAG Scale: Rs.67000-(annual increment @ 3%) 79000/- |
| Additional Principal Chief Conservator of Forests, Planning & | HAG Scale: Rs.67000-(annual |

| | |
|---|--------------------------------|
| Management (Wildlife) | increment @ 3%) 79000/- |
| Chief Conservator of Forests (Territorial) Namely: Amravati, Aurangabad, Nasik, Pune, Thane, Nagpur, Yavatmal, Dhule, Kolhapur, Chandrapur and Gadchiroli | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests & Field Director, Melghat Tiger Reserve and Todoba-Andhari Tiger Reserve | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests (Working Plan), East | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests (Working Plan), West | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests (Education and Training) | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests Budget, Planning & Development | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Member Secretary, Maharashtra State Zoo Authority, Nagpur | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests (Human Resource Management) | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests Information Technology | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, Research, Pune | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, Resource Utilization | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| MD Maharashtra State Eco-Tourism Development Board, Nagpur | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests & Field Director, Pench Tiger Reserve | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests & Field Director, Sahyadri Tiger Reserve, Kolapur | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, (Mangrooves), Mumbai | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, Forest Regulations | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, Forest Conservation | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, Evaluation | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, Wildlife, Pune | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, (NTFP) | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, (Mantralaya), R&FD, Mumbai | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests, Land Records | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Chief Conservator of Forests & Director, Sanjay Gandhi National Park, Borivali | PB-4+GP-Rs 10000/- |
| Conservator of Forests (Working Plan) Amravati, Aurangabad, Nagpur, Nasik, Pune, Thane at New Mumbai | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| Conservator of Forests (Transport and Marketing) Ballarshah | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| Conservator of Forests (Social forestry), Nagpur, Amravati, Aurangabad, Nasik, Pune, Thane | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| Conservator of Forests (Wildlife), Nasik | PB-4+GP-Rs 8900/- |
| Conservator of Forests & Field Director, Nave gaon- Nagzera Tiger Reserve, Gondia | PB-4+GP-Rs 8900/-" |

(b) In Schedule-II B, Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the entry Maharashtra, the following shall be substituted, namely:-

| |
|--|
| “Deputy Conservator of Forests (Mangrooves), Mumbai |
| Deputy Conservator of Forests (Territorial) Nagpur, Pune, Aurangabad, Thane, Amravati, West Nasik, Nanded, Kolhapur, Wardha, Gondia, Bhandara, Gadchiroli, Brahmपुर, Wadsa, Allapalli, Bhamragad, Sironcha, Central Chandha, East Melghat, West Melghat, Alibag, Yavatmal, Pusad, Pandharkawada, Buldana, Akola, Dhule, Nandubar, Jalgaon, Yawal, Mewasi, East Nasik, Ahmednagar, Shahpur, Dahanu, Roha, Junnar, Solapur, Satara, Sawantwadi, Jawha, and Sangali |
| Deputy Director (Buffer) Tadoba - Andheri-Tiger Reserve Chandrapur |
| Deputy Conservator of Forests (Land Records), Eastern Region, Nagpur, and Western Region Pune |
| Deputy Director, Navegaon-Nagzera Tiger Reserve, Sakoli |
| Deputy Conservator of Forests (Wildlife) Akot, Thane, Sipna, Gugamal (Melghat Tiger Reserve) |
| Deputy Director (Core), Tadoba - Andheri-Tiger Reserve Chandrapur |
| Deputy Director, Sahyadri Tiger Reserve, Kolhapur |
| Deputy Director, Pench Tiger Reserve |
| Deputy Conservator of Forests, (Working Plan Chandrapur) |
| Deputy Conservator of Forests, Working Plan, Dhule, Yavatmal & Kolhapur |
| Deputy Conservator of Forests, Working Plan Gadchiroli” |

[F. No. 16016/01/2016 - AIS-II (B)]

PREETI KHANNA, Under Secy.

Note : The Principal Rules were published in the Extraordinary Gazette of India, vide G.S.R. No.109(E) dated the 21.02.2008 and subsequently been amended, vide notifications given below:-

| Sl. No. | G.S.R. No. | Date of Publication | Sl. No. | G.S.R. No. | Date of Publication |
|---------|------------|---------------------|---------|------------|---------------------|
| 1. | 691(E) | 27.09.2008 | 11. | 501(E) | 20.06.2012 |
| 2. | 588(E) | 20.08.2009 | 12. | 673(E) | 06.09.2012 |
| 3. | 173(E) | 03.03.2010 | 13. | 610(E) | 06.09.2013 |
| 4. | 300(E) | 08.04.2010 | 14. | 612(E) | 06.09.2013 |
| 5. | 407 | 14.05.2010 | 15. | 652(E) | 24.09.2013 |
| 6. | 674 | 11.08.2010 | 16. | 516(E) | 18.07.2014 |
| 7. | 144(E) | 16.03.2012 | 17. | 104(E) | 16.02.2015 |
| 8. | 146(E) | 16.03.2012 | 18. | 521(E) | 30.06.2015 |
| 9. | 217(E) | 16.03.2012 | 19. | 531(E) | 02.07.2015 |
| 10. | 219(E) | 16.03.2012 | 20. | 709(E) | 16.09.2015 |